खण्ड–28, अंक–04
गुरूवार, 20 फाल्गुन, शक संवत्, 1931
(11 मार्च, 2010 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2010)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 28 में 10 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2013

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	'क'
प्रश्नोत्तर	1–30
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं	31
उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति (2009–10) का पन्द्रहवा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)... ...	32
नियम–310 के अन्तर्गत कतिपय विषयों को सुने जाने की मांग ...	32–38
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	38
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा ...	38–39
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं	39–40
जनपद नैनीताल के तहसील धारी के अन्तर्गत ग्राम–भौनरा पो0ओ–जोस्यूड़ा निवासी श्रीमती नन्दी देवी, पत्नी स्व0 श्री दिनेश चन्द्र के तीन पुत्रों की विषाक्त भोजन से हुई मृत्यु के कारण आर्थिक मदद देने के सम्बन्ध में श्री खड़क सिंह बोहरा, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य...	40
जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत तहसील द्वारहाट एवं चौखुटिया के विभागीय भवनों के निर्माण की स्वीकृति डेढ़ वर्ष पूर्व मिल जाने के उपरान्त भी अभी तक कार्य प्रारम्भ न होने के सम्बन्ध में श्री पुष्पेश त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य...	40–41
नत्थी	42

उपस्थिति

1–श्री अजय टम्टा
2–श्री अरविन्द पाण्डे
3–श्री अनिल नौटियाल
4–श्रीमती अमृता रावत
5–श्रीमती आशा
6–श्री करन मेहरा
7–सुश्री कैरन मेयर
8–श्री किशोर उपाध्याय
9–श्री केदार सिंह रावत
10–श्री केदार सिंह फोनिया
11–श्री खजान दास
12–श्री खड़क सिंह बोहरा
13–श्री गगन सिंह
14–श्री गणेश जोशी
15–श्री गोपाल सिंह राणा
16–श्री गोपाल सिंह रावत
17–श्री गोविन्द लाल
18–श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
19–श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
20–श्री चन्दन राम दास
21–श्री जोगा राम टम्टा
22–श्री जोत सिंह गुनसोला
23–हाजी तस्लीम अहमद
24–श्री तिलक राज बेहड़
25–श्री दिनेश अग्रवाल
26–श्री दिवाकर भट्ट
27–श्री दिवान सिंह
28–श्री नारायण पाल
29–काजी मौ0 निजामुद्दीन
30–श्री पुष्पेश त्रिपाठी
31–श्री प्रकाश पन्त
32–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
33–श्री प्रीतम सिंह
34–श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
35–श्री प्रेमानन्द महाजन
36–श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
37–श्री बलवीर सिंह नेगी
38–श्री बिशन सिंह चुफाल
39–श्री बंशीधर भगत
40–श्री बृज मोहन कोटवाल
41–श्री शेर सिंह
42–मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी ए0वी0एस0एम0
43–श्री मदन कौशिक
44–श्री मनोज तिवारी
45–श्री मयूख सिंह
46–श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूँ भाई"
47–श्री मातबर सिंह कण्डारी
48–श्री कुलदीप कुमार
49–श्री यशपाल आर्य
50–श्री यशपाल बेनाम
51–चौ0 यशवीर सिंह
52–श्री रणजीत रावत
53–डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"
54–श्री राजकुमार
55–श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
56–श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा
57–श्रीमती विजय बड़थ्वाल
58–श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
59–श्रीमती वीना महराना
60–श्री शहजाद
61–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
62–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
63–श्री सुरेन्द्र राकेश
64–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
65–श्री सुरेश चन्द जैन
66–डा0 हरक सिंह रावत
67–श्री हरभजन सिंह चीमा
68–श्री हरिदास
69–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

गुरूवार, दिनांक 11 मार्च, 2010 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन गृहण करें।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

जनपद देहरादून अन्तर्गत मसूरी स्थित एम0पी0जी0 कालेज की भूमि अन्य संस्थान को हस्तान्तरित करने पर विचार

**1–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि विभाग के मानकों के अनुसार एम0पी0जी0 कालेज मसूरी, जनपद देहरादून को एच0एन0 बहुगुणा विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सम्बद्धता प्राप्त होने से उक्त कालेज की समस्त भूमि स्वतः ही विश्वविद्यालय में निहित है ?

क्या यह सत्य है कि सरकार महाविद्यालय परिसर भूमि को किसी अन्य संस्थान के नाम पर हस्तान्तरित करने या किसी अन्य परियोजना हेतु भूमि के प्रयोग के लिए अनुमति प्रदान करने पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो किन नियमों के अन्तर्गत यह कार्यवाही की जा रही है ?

क्या सरकार एम0पी0जी0 कालेज मसूरी को बन्द करने पर भी विचार कर रही है ?

मुख्यमंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक')–

जी हाँ।

विश्वविद्यालय की परिनियमावली में ऐसी कोई व्यवस्था निहित नहीं है।

जी नहीं।

जी नहीं।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के द्वारा अवगत कराया गया है कि विश्वविद्यालय परिनियमावली में कोई ऐसी व्यवस्था निहित नहीं है। विश्वविद्यालय यू0जी0सी0 के नियमों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय पर नियमावली बनती है और उसका

उल्लेख ये सही है कि भूमि को विश्वविद्यालय में निहित नहीं किया जा सकता है। विश्वविद्यालय को क्या किसी महाविद्यालय की स्वायत्तता देने के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता होती है ? और किन–किन परिनियमों के अन्तर्गत 'महाविद्यालय संचालित होता है ? तथा क्या किसी संस्था को कोई प्रबन्ध समिति इस प्रकार की भूमि हस्तान्तरण कर सकती है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, जो वर्तमान में व्यवस्था परिचालित है, उसके तहत पर्वतीय क्षेत्र में पाँच हजार वर्ग मीटर भूमि यदि हो तो उसमें महाविद्यालय की स्थापना हो सकती है और मैदानी क्षेत्र में दस हजार वर्ग मीटर भूमि और यदि इससे अधिक भूमि उस महाविद्यालय के पास उपलब्ध हो और यदि कोई भी व्यवस्था उसकी मैनेजमेंट कमेटी करना चाहे तो वह विधिवत् अपनी प्रबन्धकारिणी समिति में उसका प्रस्ताव पारित करके विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेगा और विश्वविद्यालय द्वारा उस प्रस्ताव को शासन को संदर्भित किया जायेगा और शासन में सम्यक् विचारोपरान्त उस पर निर्णय लिया जायेगा। यह व्यवस्था परिचालित है। श्रीमन्, प्रकरण माननीय सदस्य ने उठाया है इसमें इस तरह का कोई भी प्रस्ताव प्रबन्धकारिणी समिति में पारित नहीं हुआ है।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूँ कि प्रबन्धतंत्र समिति में कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है और भूमि के हस्तान्तरण की प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर कर दी गयी है। नगर पालिका परिषद् मसूरी के द्वारा इसके लिए 32 बीघा भूमि श्री रविशंकर जी को "आर्ट ऑफ लिविंग संस्था" नगर पालिका के प्रस्ताव के द्वारा प्रस्तावित कर दी गयी है। जोकि न ही तर्कसंगत है और न ही नियमावली के अन्तर्गत है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या नगर पालिका परिषद् को यह प्रस्ताव करने का अधिकार है ? दूसरी बात मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या महाविद्यालय अपने विषयों को अपने विद्यालय की वृद्धि के लिए अन्य विषयों की सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए इस भूमि का प्रयोग कर सकता है ? क्या अन्य संस्था को उसी महाविद्यालय की भूमि में इस तरह की एक्टिविटी और अन्य विषयों और अन्य विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान कर सकता है ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, अद्यतन ऐसा कोई भी प्रस्ताव प्रबन्धकारिणी समिति में प्रस्तुत नहीं हुआ है और न ही पारित हुआ है और जब पारित ही नहीं हुआ तो माननीय विधायक जी ने न जाने किस संशय को लेकर के यह प्रश्न किया होगा और बिना चिंगारी के आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि विधायक जी बिना चिंगारी के प्रस्ताव करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी के पास सूचनाएं अधूरी हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मेरे पास पूरी सूचना है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, आपकी बात सुन ली। अब हमारी बात भी सुन लीजिए। माननीय मंत्री जी इसमें उन लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिन लोगों के द्वारा मसूरी में यह कुकृत्य करने की चेष्टा की जा रही है। मसूरी डिग्री कॉलेज, मसूरी में बहुत सम्भावनाओं को देखते हुए बनाया गया था, वहाँ के निर्बल वर्ग और सामान्य वर्ग के लोगों के लिए। उसको किसी भी संस्था को देने का जो प्रयास है, हो सकता है कि अभी प्रबन्ध समिति में उसको पारित न किया गया हो। लेकिन वहाँ पर प्रथम दृष्ट्या जो लग रहा है, क्योंकि मैं भी मसूरी गया था वहाँ पर आज प्रचलित है कि 32 बीघा भूमि आर्ट ऑफ लिविंग को दे दी गयी है। माननीय सदस्य की जो सम्भावना है।......

श्री अध्यक्ष–

सम्भावनाओं पर तो बात नहीं हो सकती है। (व्यवधान)

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, सम्भावना नहीं है, नगर पालिका प्रस्ताव पारित कर चुकी है। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, सम्भावना नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

आपने सम्भावना की बात करी है (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यदि ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा तो क्या सरकार उसको टर्न डाऊन करने पर विचार करेगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, यह कल्पनाओं पर आधारित विषय तो होगा नहीं। प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त ही निर्णय लिया जाएगा। (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, जैसा कि माननीय सदस्य जोत सिंह गुनसोला जी ने कहा कि नगर पालिका ने उसका प्रस्ताव पारित कर दिया है और माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रबन्ध समिति ने कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष–

आपके माननीय सदस्य ने भी यह कहा है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि इस कालेज का प्रबन्ध तंत्र नगर पालिका है या नहीं ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, चूँकि इसकी मैनेजमेंट कमेटी के अन्तर्गत नगर पालिका अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष होते हैं। इसमें जिलाधिकारी, सचिव, नगर विकास, विद्यालय के प्रधानाचार्य और दो प्रोफेसर इस मैनेजमेंट बॉडी में होते हैं और उसके आधार पर एक प्रबन्धकारिणी समिति बनती है। जहाँ तक इस प्रश्न से सम्बन्धित बात है, तो जैसे ही यह प्रश्न लगा तो तत्काल हमने विश्वविद्यालय से पूछवाया। विश्वविद्यालय ने कहा कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कोई भी संस्था विश्वविद्यालय की अनापत्ति तथा शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना महाविद्यालय की भूमि को किसी अन्य संस्था के नाम हस्तान्तरित नहीं कर सकती। मान्यवर, उसके बाद हमारे डायरेक्टर ने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से पूछा। प्रधानाचार्य ने अपने पत्र दिनांक 09–03–2010 के द्वारा यह बताया कि महाविद्यालय समिति द्वारा तद्दिनांक तक भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं किया गया।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बिना चिंगारी के आग लगाने की बात कहीं। माननीय अध्यक्ष जी, चिंगारी तो है। चिंगारी यह है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि नगर पालिका ने प्रस्ताव पारित कर दिया है और आपने स्वयं अपने उत्तर में यह कहा है कि नगर पालिका के अध्यक्ष पदेन रूप से इस प्रबन्ध तंत्र के अध्यक्ष होते हैं। (व्यवधान)

(माननीय सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन द्वारा बैठै–बैठे कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष–

निजामुद्दीन जी, लगता है आप बहुत दिनों बाद आए हैं। (व्यवधान) आपने आवाज सुनी नहीं अभी या भूल गये हैं। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी मैंने अपनी आवाज धीमी रखी है। (व्यवधान) मैं एक्शन का रिएक्शन दिखाऊँगा। अभी इधर से एक्शन हंसने का है इसलिए मैं रिएक्शन भी धीरे दे रहा हूँ। जब उधर से एक्शन लाल पीला होगा तक यहाँ से रिएक्शन भी बदलेगा। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाह रहा हूँ, जैसा कि माननीय मंत्री जी

ने स्वयं स्वीकार किया कि नगर पालिका का जो भी अध्यक्ष होगा, वह पदेन रूप से इस प्रबन्ध तंत्र का अध्यक्ष होगा। यहीं चिंगारी की शुरूआत है। जो चर्चा है, वह बेवजह नहीं है, इसलिए है कि जो व्यक्ति नगर पालिका का अध्यक्ष है, वह इस विद्यालय का प्रबन्धक समिति के भी अध्यक्ष है। एक जगह जहाँ वे नगर पालिका के अध्यक्ष है, वहाँ से यह प्रस्ताव पारित हो गया है कि यह भूमि अमुक संस्था को ट्रांसफर कर दी जाती है, इसके लिए बहुमत से प्रस्ताव पारित हो रहा है और वही व्यक्ति इस विद्यालय के प्रबन्ध तंत्र का भी अध्यक्ष है और यही चिंगारी है। जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि बिना चिंगारी के आग लगाने का प्रयास हो रहा है, तो यह चिंगारी नहीं बम है। (हँसी)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष इस सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य है और वे उत्तर प्रदेश की विधान सभा के भी सदस्य रह चुके हैं एवं मंत्री भी रहे हैं। तो विधान सभा कल्पनाओं के आधार पर विचार नहीं करती है। तथ्यों के आधार पर सत्य यह है कि न तो अद्यतन प्रबन्धकारिणी समिति में कोई प्रस्ताव रखा गया है, न ही प्रस्ताव पारित हुआ है। तो फिर किस विषय पर चर्चा हो सकती है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, सरकार इस कालेज की भूमि को ट्रांसफर करने के लिए विचार नहीं करेगी, क्योंकि प्रस्ताव तो सरकार के ही पास आयेगा तो सरकार उसे एन0ओ0सी0 नहीं देगी, ऐसी आश्वासन सरकार दे दे।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जब तक प्रस्ताव का अध्ययन नहीं किया जायेगा तब तक उस पर आश्वासन कैसे दे सकते हैं। इस मामले में अद्यतन स्थिति यह है कि इस तरह का कोई प्रस्ताव आज की तिथि तक विचाराधीन नहीं है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह प्रश्न आज माननीय सदन के सामने आया है, माननीय विधायक जी की पीड़ा इस सम्बन्ध में है, यह उनके क्षेत्र का मामला है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मेरा विनम्र आग्राह है कि आश्वासन तो आज की तिथि तक का हो सकता है, भविष्य के लिए अभी से कैसे आश्वासन दे सकते हैं ? (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह आशंका नहीं है, हमारा आपसे निवेदन हैं, हमें आपका संरक्षण चाहिये। यदि यह मात्र आशंका होती तो प्रश्न के माध्यम से माननीय सदस्य द्वारा सदन

का ध्यान आकर्षित नहीं कराया जाता। यह आशंका नहीं, बल्कि एक सोची–समझी चाल है, यह भूमि ट्रांसफर कराने की सुनियोजित योजना है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी डिग्री कालेज को एक्सटेंशन करने के लिए किसी अन्य संस्था को देने के बजाय क्यों नहीं सरकार वहाँ पर नये कोर्सेस शुरू करवाती हैं ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आज की तिथि तक प्रबन्धकारिणी समिति में प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कल क्या होगा, क्या नहीं होगा, भविष्य के बारे में अभी से कैसे कहा जा सकता है।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, क्या सरकार नगर पालिका परिषद् के द्वारा पारित प्रस्ताव को निरस्त करेगी ? यदि इनकी भावना सही है और क्या म्युनिसिपल कालेज की प्रबन्ध समिति द्वारा जो बी0एड0 और अन्य विषय खोलने के लिए आवेदन किया गया है, उन पर सरकार सहमति और स्वीकृति प्रदान करेगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, विभिन्न विषयों को खोले जाने के लिए महाविद्यालय समय–समय पर माँग करते हैं और उन पर विचार किया जाता है कि किस तरह से बेहतर और गुणवत्तायुक्त शिक्षा की व्यवस्था की जा सके। यदि इस विद्यालय का कोई ऐसा प्रस्ताव है तो उसका परीक्षण करवा लिया जायेगा। लेकिन जहाँ तक आपका प्रश्न नगर पालिका के पारित प्रस्ताव से सम्बन्धित है तो चूँकि नगर पालिका अपने आप में एक स्वायत्तशासी संस्था होती है और संविधान के अनुच्छेद–243 के तहत गठित होती है और उसके प्रस्ताव को सरकार सीधे हस्तक्षेप के जरिये निरस्त नहीं कर सकती है। जैसा कि सम्मानित विधायक जी बता रहे हैं कि ऐसा कोई प्रस्ताव वहाँ किया गया है, तो इसमें आपत्ति के लिए सक्षम स्थान कमिश्नर के यहाँ है, अगर आपको कोई प्रस्ताव आपत्तिजनक लगता है तो आप कमिश्नर के यहाँ आपत्ति कर सकते हैं। जहाँ तक इस विद्यालय से सम्बन्धित प्रश्न है, तो भूमि हस्तांतरण के लिए कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि माननीय आयुक्त महोदय और जिलाधिकारी महोदय। (व्यवधान) आयुक्त महोदय, ये नगर पालिकाओं के प्रस्ताव का एक माध्यम है। (व्यवधान) शासन की शक्तियाँ भी आयुक्त महोदय में निहित होती है तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या सरकार इस प्रस्ताव को जो नगर पालिका परिषद् के द्वारा दिया गया है क्या वैधानिक शक्तियां प्रदान करते हुए आयुक्त महोदय उसको निरस्त नहीं करेंगे ? (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

मान्यवर, हम यहाँ से घर वापस वैसे ही जाएंगे और जनता के बीच में बता देंगे कि सरकार हमारे इस प्रश्न को भी ये मान कर चल रही है कि ये चिंगारी हैं। मैं आपको अवगत कराने का प्रयास कर रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अवगत तो हो गया। माननीय गुनसोला जी, अवगत तो हो गया है। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी परीक्षण तो करा सकते हैं। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं अवगत करा देता हूँ नगर पालिका अपने स्तर से जमीन हस्तांतरित करने में सक्षम नहीं है, वह प्रस्ताव शासन में आयेगा और उस पर विचार करेंगे अगर ऐसा कोई प्रस्ताव होगा तो। अभी अद्यतन कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है। (व्यवधान) ऐसा कोई विषय है तो उसका परीक्षण करा लेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय दिनेश अग्रवाल जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

तारांकित प्रश्न

राज्य में कृषि योग्य भूमि की मृदा में पोषक तत्वों की कमी तथा दूर करने के उपाय

*1–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड की कृषि योग्य भूमि की मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो गई है ?

क्या पोषक तत्वों की कमी के कारण कृषि उत्पादन में इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

यदि हाँ, तो सरकार इस कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय कर रही है।

यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)–

जी हाँ, मृदा में पोषक तत्वों की कमी है।

वर्ष 2008–09 में गत वर्ष की तुलना में उत्पादन में कमी आई, जो विभिन्न कारणों से थी। पोषक तत्वों की कमी भी एक कारण रहा।

पोषक तत्वों की कमी दूर करने के लिए निम्न उपाय किये जा रहे हैः–

1. मृदा नमूनों के परीक्षण के आधार पर सन्तुलित उर्वरकों को प्रयोग करने की सलाह दी जा रही है।
2. कृषकों को बायोंफर्टीलाइजर, सूक्ष्म पोषक तत्वों और ढैंचे का बीज (हरी खाद तैयार करने हेतु) 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
3. कृषकों को वर्मी, नाडेप एवं हीप पद्धति से कम्पोष्ट निर्माण हेतु 50 प्रतिशत अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है।
4. कृषकों को विभिन्न भोठियों, मेलों व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सन्तुलित उर्वरकों के प्रयोग करने की सलाह दी जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने उत्तर में कहा कि मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो रही है। सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि कौन–कौन पोषक तत्वों की कमी, किस–किस पोषक तत्वों की कमी हो रही है और पोषक तत्वों की कमी होने के मुख्य क्या कारण हैं ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखण्ड में सूक्ष्म तत्वों के कुल 61 हजार 162 नमूने लिये गये थे और जिसके आधार पर पोषक तत्वों का सूक्ष्म द्वितीयक, पोषक तत्वों की कमी का प्रतिशत निम्नवत् सामने आया है। तत्वों में कमी जो सामने आयी है वो इस प्रकार आयी है जिंक में पर्वतीय क्षेत्र में 20 प्रतिशत और मैदानी क्षेत्र में 21 से 40 प्रतिशत, ऐसे ही तांबा 0 से 20 पर्वतीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में कोई कमी नहीं पायी गयी है। मान्यवर, लोहा 40 से 60 पर्वतीय क्षेत्र में, ऐसे ही मैदानी क्षेत्रों में जीरो से 40 की कमी है। मैगंनीज पर्वतीय क्षेत्रों में 20 से 40 और मैदानी क्षेत्रों में जीरो से 20 प्रतिशत पोषक तत्वों की कमी है।

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, इसकी यूनिट क्या है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय, इसकी यूनिट प्रतिशत में है। इसी तरह पर्वतीय क्षेत्र में बोरौन जीरो से 30 प्रतिशत फलों में है और मैदानी क्षेत्रों में फलों में जीरो से 20 प्रतिशत है। इसी तरह से सल्फर जीरो से 20 प्रतिशत है पर्वतीय क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में 20 से 40 प्रतिशत है। इसके जो कारण हैं वह पर्वतीय क्षेत्र के खेत ढालदार हैं, बरसात में

अत्यधिक वर्षा के कारण जो उसके सूक्ष्म तत्व हैं वह बह कर चले जाते हैं। (व्यवधान) वह गाढ़, गधेरों के माध्यम से मैदान में आ जाते हैं।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, यह तो मैदान में भी कम हो रहे हैं ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मृदा क्षरण के कारण ही यह सब कुछ हो रहा है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जैसा आपने बताया कि वर्ष 2008–2009 में गत वर्ष की तुलना में उत्पादन में कमी आयी है, जो विभिन्न कारणों से थी। वह कारण क्या क्या हैं ? उसको ठीक करने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय, इसके जो विभिन्न कारण हैं, एक तो विगत वर्षों में वर्षा का भी अभाव रहा है, दूसरा कीट भी एक कारण है। (व्यवधान)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय, एक तरफ वर्षा अधिक हो रही है और दूसरी तरफ वर्षा नहीं होना, यह अपने आप में कन्ट्रोवर्सी है। (व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय, माननीय सदस्य ने पूछा कि इसके लिए सरकार क्या कर रही है। इसके लिए एक तो जो हरी खाद है, उसके लिए ढैंचा बीज हम किसानों को दे रहे हैं आज जो ढैंचा बीज की डिमान्ड है इसको हम दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं। वर्ष 2005–2006 में जो हमारे स्टेट में मात्र 407 कुन्तल थी वह आज वर्ष 2009–10 में इसका 805 कुन्तल सरप्लस में 15000 कुन्तल का लक्ष्य हमने रखा है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कुछ और पूछा है, उन्होंने पूछा कि पोषक तत्वों के अलावा और कौन से कारण हैं ? आपने कारण तो एक भी नहीं बतायें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी की पूरी बात आने दीजिए।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय, जो मैदानी क्षेत्र हैं। जैसे पिछली बार सितम्बर के माह अत्यधिक वर्षा के कारण वाटर लौगिंग हो गई उसके कारण भी दिक्कतें आई, उसके कारण उत्पादन घटा है।

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, वाटर लौगिंग से क्या होता है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

वाटर लॉगिंग से फसलों में बीमारियाँ हो गई।

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

वाटर लॉगिंग से न्यूट्रीयन्टस कैसे कम हो गयी ?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रणव जी, आपके मौका मिलेगा।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मै बताना चाहता हूँ किन्तु माननीय सदस्य सुनना ही नहीं चाहते हैं। मान्यवर, जैसा कि मैंने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा के कारण न्यूट्रीयन्टस बह जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जहाँ हम पहले वर्ष में एक फसल लेते थे और खेतों को एक या दो साल तक खाली छोड़ते थे किन्तु आज ऐसा नहीं है। किसान दो फसलें उन खेतों में ले रहे हैं। जैसे हमारा ऊधमसिंह नगर है। वहाँ पर किसान तीन–तीन फसलें ले रहे हैं उसके कारण भी भूमि के जो पोषक तत्व हैं उनमें कमी आ रही है। उसके लिए सरकार के द्वारा किसानों को कम्पोसटिंग है कार्यक्रम के तहत चाहे नाडेप की पद्धति हो या वर्मी कम्पोस्ट हो या फिर जो तरह–तरह के कम्पोस्ट हैं उनको उपलब्ध कराये जा रहे हैं ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाई जा सके।

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, अध्यक्ष जी, अपने उत्तर में माननीय मंत्री जी ने पोषक तत्वों का जिक्र तो किया है लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण माइक्रो एलीमैंट्स हैं, उनका जिक्र नहीं किया है। उनका जिक्र माननीय मंत्री जी करना भूल गये जो फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा माननीय मंत्री जी ने बताया कि ढैंचे का बीज 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है क्या इसके अलावा शनी के लिए भी सरकार कुछ कर रही है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ढैंचे से अधिक होती है। मान्यवर, शनी और ढैंचे से मात्र नाइट्रोजन मिलेगी उसके अतिरिक्त जो अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व कम हो रहे हैं, उनको पूरा करने के लिए उनको रिजनरेट करने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए हम मृदा परीक्षण कराते हैं।

कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

मान्यवर, मृदा परीक्षण के बाद कमी आ गई। मैंने उसके बाद का सवाल किया। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रणव जी, इतने उतावले क्यों हो रहे हैं उत्तर माननीय मंत्री जी बता तो रहे हैं। पूरी बात तो आने दीजिए।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, हम लोग वर्ष में दो बार कृषक महोत्सव के माध्यम से कृषकों के बीच में जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे कृषि विज्ञान केन्द्र हैं, पन्त नगर कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके वैज्ञानिक किसानों के बीच में समय–समय पर जाकर भूमि में जो तत्व कम हैं, उनसे किसानों को अवगत कराते हैं और जो हम उपाय कर रहे हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि कृषकों को बायोफर्टीलाइजर, सूक्ष्म पोषक तत्व, हरी खाद तैयार करने हेतु ढैचे का बीज, जैसा कि मैंने बताया कि 50 प्रतिशत अनुदान पर दे रहे हैं। कृषकों को कम्पोस्ट खाद निर्माण हेतु वर्मीकम्पोस्ट कृषकों को वर्मी, नाडेप एवं हीप पद्वति से कम्पोस्ट निर्माण हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषकों को विभिन्न गोष्ठियों, मेलों व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जो सन्तुलित उर्वरक हैं, जब हम परीक्षण करते है और परीक्षण के बाद मिट्‌टी में किस तत्व की कमी है उसके लिए किसानों को बताया जाता है कि आप इस तरह की खाद का इस्तेमाल करें। इस प्रकार जिन तत्वों की कमी होती है उनकी पूर्ति इस तरीके से की जाती है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, उन्होंने कुछ और पूछा है, उन्होंने पूछा कि पोषक तत्वों के अलावा और कौन से कारण हैं ? आपने कारण तो एक भी नहीं बतायें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पुष्पेश जी, माननीय मंत्री जी की पूरी बात आने दीजिए।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, जो मैदानी क्षेत्र हैं, जैसे पिछले वर्ष सिम्तबर में अत्यधिक वर्षा के कारण वाटर लागिंग हो गई उसके कारण भी दिक्कतें आई। (व्यवधान)

श्री प्रेमानन्द महाजन–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

श्री शैलेन्द्र जी, यहाँ पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, यह अन्तिम अनुपूरक है।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, विभाग द्वारा जो ढैंचा का बीज किसान को बोने के लिये दिया जाता है उसके बाद विभाग द्वारा यह इन्क्वारी की जाती है कि किसान इसको वास्तविक रूप से बो रहे या नहीं, क्योंकि मैं विकासखण्ड, गदरपुर व विकासखण्ड, रूद्रपुर के कागजी आंकड़े के बारे में वास्तविक रूप से भी बताना चाहता हूँ यदि बीस कुन्तल बीज किसानों के बोने के लिए दिया जाता है इसमें केवल एक कुन्तल भी लोग नहीं बोते हैं।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य इस बात को मेरे संज्ञान में लाये हैं, निश्चित रूप से इसका संज्ञान लिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग इतने उतावले क्यों होते हैं ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें कहा है कि मृदा नमूनों के परीक्षण के आधार पर सन्तुलित उर्वरकों को प्रयोग करने की सलाह दी जा रही है। इस क्रम में मैं जानना चाहता हूँ कि वर्ष 2008–09 में गढ़वाल मण्डल में कितने मृदा परीक्षण कराये गये और किस प्रयोगशाला में कराये गये ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, गढ़वाल मण्डल में कुल 54 विकासखण्ड हैं जो मृदा परीक्षण का लक्ष्य रखे गये, गढ़वाल में 20159 हैं।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, कौन सी प्रयोगशाला में परीक्षण हुए हैं ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, ऊधमसिंह नगर और श्रीनगर प्रयोगशाला में परीक्षण कराये जाते हैं। (व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, गढ़वाल मण्डल के श्रीनगर में हुई हैं ना।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, हाँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

श्री सुरेन्द्र राकेश जी, उत्तर तो पूरा आने दीजिए। (घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष, जी, कम से कम पहले उत्तर आ जाना चाहिए था। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया पहले उत्तर तो पूरा आने दीजिए। (व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय सदस्य बहुत उत्तेजित हो रहे हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि श्रीनगर में एक लैब है और बाकि हर जिले में हमारी लैब हैं।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी, आप उत्तर दे रहे हैं कि सूक्ष्म तत्व के लिए हर जिले में लैब हैं क्या ? (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

श्री सुरेन्द्र राकेश जी, आप पूरी बात आने दीजिए। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी गलत उत्तर क्यों दे रहे हैं, सदन को भ्रमित कर रहे हैं कि उत्तराखण्ड के पूरे जिलों में लैब हैं, जबकि उत्तराखण्ड में केवल दो लैब हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया पूरा उत्तर तो आने दीजिए। (व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने बताया कि उत्तराखण्ड में श्रीनगर और ऊधमसिंह नगर में सूक्ष्म तत्व के लिए लैब हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं यही तो जानकारी चाह रहा हूँ आप पूरे जिलों का क्यों बता रहे हैं ? (व्यवधान के मध्य)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को निर्देश दिया जाना चाहिए कि इतनी उत्तेजना में प्रश्न क्यों पूछना चाहते हैं ? मान्यवर, इनका उद्देश्य केवल

उत्तेजना फैलाना है या जनता की समस्याओं के बारे में जानकारी जुटानी है ? मान्यवर, आप लोगों को उत्तेजित नहीं होना चाहिए, मेरी केवल यह सलाह है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि श्रीनगर में नमूनों का परीक्षण कराया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह जानकारी देना चाहता हूँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप धीरे बोलें इतना उत्तेजित मत हो।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी आवाज ही ऐसी है। मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। मैं अपनी आवाज कैसे कम करूँ। मैं इस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। जब मेरी आवाज है तो उसे कैसे कम करूँ ? आप मुझे दवा उपलब्ध करा दे जिससे मेरी आवाज कम हो जाए। जब मेरी आवाज है तो उसे कम कैसे कर दूँ। माननीय अध्यक्ष जी, (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम आवाज में बोलूँ। इससे नीचे का मेरा लेबल नहीं है। कम से कम बोलने का आपका निर्देश है मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं कम से कम जो मेरा लेबल है उससे बोलूँगा।

श्री अध्यक्ष–

आप उत्तेजित होना बंद कर दें। आप छोटी–छोटी बात पर उत्तेजित हो जाते है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से केवल जानकारी चाह रहा हूँ। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि श्रीनगर में मृदा परीक्षण कराए गए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को जानकारी देना चाहता हूँ कि 7.9 व 8.3.09 में श्रीनगर की जो प्रयोगशाला है बिल्कुल ठप्प पड़ी है बन्द पड़ी है तो वहाँ पर मृदा परीक्षण कैसे करा दिये गये ? अगर वहाँ परीक्षण हो रहे हैं तो सदन को जानकारी दें। मेरे पास अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल का पत्र है जिसमें उन्होंने लिखा है कि 2002 व 2003–2004 में उर्वरक कीट गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला हेतु राज्य स्तर से क्रय किये गये इस प्रयोगशाला के लिए 2003–04 में समस्त उपकरण क्रय कर स्थापित किये गये थे किन्तु उनके संचालन हेतु निदेशालय की ओर से कोई उवर्रक कीटनाशक विशेषज्ञ की तैनाती न होने के कारण कोई भी कार्य नहीं किया गया। आज तक उन उपकरणों में काई भी परीक्षण का कार्य नहीं किया जा रहा है। जब स्थानीय समस्त उपकरण बहुत ही संवेदनशील और कीमती हैं निम्न उपकरणों को बिना संचालन अर्थात बिना कार्य के रखे गये हैं क्योकि इनको सुरक्षित रखने के लिए तापमान बनाए रखना अनिवार्य है जैसाकि

उपकरण विशेषज्ञ अपनी जानकारी में मौखिक व लिखित रूप में उत्तर दे रहे हैं ऐसी परिस्थितियों में निम्न उपकरणों के रख रखाव के लिए व कार्य में उपयोग न लेने के कारण खराब होने की सम्भावना है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि जो उपकरण 2004–05 में करोडों रू0 के खरीदे गये थे जब उनका प्रयोग ही नहीं हुआ, उन कैमिकलों का प्रयोग ही नहीं हुआ तो श्रीनगर में कहाँ से टेस्टिंग कर ली गयी ? माननीय अध्यक्ष जी, क्यों गलत उत्तर दिया जा रहा है ? (व्यवधान) (सेम–सेम)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय सदस्य जी ने बताया कि 2002–2003 से वहाँ जो उपकरण खरीदे गये थे और तब से उनका उपयोग नहीं हो रहा है यह सच है कि वहाँ पर स्टाफ की कमी के कारण परीक्षण नहीं हो पा रहा है और आज भी स्टाफ की कमी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया पूरी बात को आने दीजिए। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे नियमावली का नियम–282 उसका खण्ड–9 माननीय सदस्य से मैं कहूँगा कि वे पढ़ लें।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसे मैंने बताया कि हमारी दो लैब है, श्रीनगर में लैब है रूद्रपुर में लैब है। इतनी विस्तृत जानकारी कि कहाँ पर क्या है यह मैं आपको दे दूँगा लेकिन (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

यह बिल्कुल सही है कि श्रीनगर में लैब बंद पड़ी है। माननीय सदस्य की बात सही है। वहाँ पर कई सालों से कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पहले माननीय मंत्री जी की पूरी बात तो आने दीजिए।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने किसी अधिकारी का भी इसमें जिक्र किया है। मान्यवर, वहाँ पर स्टाफ की कमी है और उसके लिए पूरे ढांचे का पुनर्गठन कर रहे हैं और बहुत जल्द की जहाँ पर कमी है वहाँ पूरी हो जायेगी। ऊधमसिंहनगर में भी लैब है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, जब इन्स्ट्रूमेण्ट काम ही नहीं कर रहे हैं तो परीक्षण कैसे हो गया ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यह जो नमूने हैं वो मान्यवर, पूरे 13 जिलों में लैब हैं उनके माध्यम से, तथा ऊधमसिंह नगर के लैब के माध्यम से, इन सभी लैब के माध्यम से यह सारे नमूने परीक्षण किये जाते हैं (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, 2 लैब हैं उत्तराखण्ड में, एक ऊधमसिंहनगर में और एक श्रीनगर में है, यह माननीय मंत्री जी का जवाब है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हर जिले में लैब हैं अब श्रीनगर का जिक्र कर दिया। (व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने कहा कि स्टाफ की कमी है, मैने कहा गति कम है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि श्रीनगर के लैब में कुल कितने अधिकारी एवं विशेषज्ञ तैनात है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री हरक सिंह रावत जी, बता तो दिया है।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जो उत्तेजित हो रहे हैं, वाकई में यह सदन चिल्लाने के लिए नहीं है, लेकिन अगर मंत्री परिषद हल्की आवाज को न सुने तो शायद यही मजबूरी माननीय सदस्य की है। मान्यवर, श्रीनगर की लैब बन्द है, पूरी तरह बन्द है, जिलों में कोई सूक्ष्म तत्व का लैब नहीं है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, नहीं है।

श्री शहजाद–

मान्यवर, आपने अभी कहा है कि जिलों, ऊधमसिंहनगर और श्रीनगर के माध्यम से कराया, यदि लैब नहीं है तो माध्यम कैसे। माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी माननीय सदस्य का जवाब नहीं आया है, इस प्रश्न को स्थगित कर दें। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जितने प्रश्न माननीय सदस्य उठा रहे हैं सभी प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी दे रहे हैं और यदि माननीय मंत्री के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो स्पष्टीकरण ले सकते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसमें स्थगित करने का प्रश्न कहाँ से आ गया है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, उत्तर गलत दे रहे हैं।

(माननीय सदस्य श्री शहजाद, श्री हरिदास एवं श्री सुरेन्द्र राकेश जी 'वेल' के पास आकर अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

उत्तर मिल जायेगा।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, उत्तर न आना और उत्तर गलत आना दोनों अलग–अलग विषय है, यदि गलत उत्तर आ रहा है तो उसका स्पष्टीकरण लें, उसका लिखित उत्तर आयेगा, अगर उत्तर नहीं आ रहा है तो स्थगित होता है गलत उत्तर आने पर स्थगित नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय मंत्री जी बता रहे हैं।

(माननीय सदस्य श्री शहजाद, श्री हरिदास एवं श्री सुरेन्द्र राकेश जी अपने–अपने स्थान पर चले गये।)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष सूक्ष्म तत्वों के 686 नमूनों का परीक्षण श्रीनगर का हुआ है और वर्ष 2008 में 6843 नमूने वहाँ पर लिये गये और उनका विश्लेषण किया गया और फिर भी सम्मानित सदस्य कह रहे हैं कि जानकारी नहीं दी जा रही है तो मैं समझता हूँ कि क्या जवाब चाहते हैं, चिट्ठी लेकर के आते हैं, आप किस चीज का हवाला देना चाहते हैं।

(व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, अपने उत्तर के माध्यम से सदन को गुमराह कर रहे हैं।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

जब तक आप पटल पर नहीं देंगे। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, यह चिट्ठी गलत है तो परीक्षण करा लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

हाँ, परीक्षण करा लेंगे। (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये और अपनी–अपनी बात कहने लगे।) (व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री महेन्द्र सिंह माहरा ''मँहू भाई''–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपने–अपने स्थान पर बैठ जायं। इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या–2 पुकारे जाने पर (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये और अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

(व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बहुत कम सवाल पूछते हैं और बहुत ही गम्भीर सवाल पूछते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कृपया इन्हें बोलने का मौका दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं असमर्थ हूँ। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र सिंह माहरा ''मँहू भाई''–

मानवीय अध्यक्ष जी, मैं केवल एक बात जानना चाहता हूँ कि मृदा परीक्षण के बाद, चार साल पहले एक मानचित्रीकरण बनाया गया था और वह मानचित्रीकरण न्याय पंचायतों तक गया। इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या वह मानचित्रीकरण आपकी सरकार के द्वारा ग्राम पंचायतों तक आपकी सरकार द्वारा पहुंचाया गया है ?

श्री अध्यक्ष–

यह सवाल मूल प्रश्न से सम्बन्धित ही नहीं है तो बताइये अब इसका क्या करें। फिर वही बात हो जायेगी। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र सिंह माहरा ''मँहू भाई''–

माननीय अध्यक्ष जी, मृदा परीक्षण के बाद पोषक तत्वों की स्थिति की जानकारी के लिए जो मानचित्र हमने चार साल पूर्व गांवों तक पहुंचाया था। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि न्याय पंचायतों के स्तर के बाद चार साल बाद ग्राम पंचायत स्तर तक मानचित्रीकरण पहुंचाया गया है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित सदस्य पूर्व में इस विभाग को देख चुके हैं और मैं समझता हूँ कि जो खेती है यह गांव में ही होती है। इसलिए जो भी नमूने लिये गये हैं और जो भी विश्लेषण किये गये हैं यह गांवों से ही लिये गये हैं। यह जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं मानचित्र का चक्र हर तीन वर्ष में चलता है और हर तीन वर्ष बाद मानचित्रीकरण किया जाता है। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र सिंह माहरा ''मँहू भाई''–

माननीय अध्यक्ष जी, अब तो लगभग चार साल हो गये हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ जो कि पोषक तत्वों की स्थिति है इसकी जानकारी आप कैसे लेंगे ? यह मैं जानना चाहता हूँ।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सारी जाँच हम करते हैं। विभाग के अधिकारी और कर्मचारी नमूने लेते हैं। समय पर यह सब संकलित किया जाता है और इसके आधार पर ही जानकारी दी जा रही है।

प्रदेश में जैविक खेती करने की कार्य योजना

*2–श्री प्रीतम सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिये सरकार द्वारा अब तक क्या कार्य किये गये हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या प्रदेश में जैविक खेती करने के लिए सरकार की कोई कार्य योजना है ?

यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

प्रदेश के किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कृषकों को जैविक खेती का प्रशिक्षण विभिन्न कम्पोस्ट उत्पादन इकाईयों के निर्माण पर अनुदान, जैविक प्रमाणीकरण एवं जैविक उत्पादों के विपणन हेतु सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ।

वर्ष 2009–10 में 23845 कृषकों को प्रशिक्षण देने, 78300 कम्पोस्ट इकाईयों का निर्माण कराने, कम्पोष्ट उत्पादन इकाईयों पर 226.50 लाख अनुदान देने, 50000 है0 जैविक प्रमाणीकरण क्षेत्रफल तथा 31652.73 कु0 जैव उत्पादन का विपणन कराने की कार्य योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि राज्य योजना के अन्तर्गत जैविक खेती की कौन–कौन सी योजनाएं चल रही हैं एवं जैविक खेती के लिए कितने बजट का प्राविधान किया गया है ? जो बजट का प्राविधान किया गया है, उसमें से अब तक कितना खर्च हुआ है ? मान्यवर, दूसरा मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ कि जैविक खेती और उससे भिन्न जो उत्पादन हैं, क्या उनमें वैज्ञानिक आधार पर कोई अन्तर है ? तीसरा मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैविक खेती से जो खाद्यान्न उत्पादित होता है और अन्य खेती से जो खाद्यान्न उत्पादित होता है, उससे मनुष्य के शरीर पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्या इसकी कोई वैज्ञानिक प्रमाणिकता है, आपके पास ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा, उसके बारे में बताना चाहता हूँ, इसमें मृदा का परीक्षण किया जाता है और मृदा के विश्लेषण के आधार पर जैविक और अजैविक का प्रमाणीकरण किया जाता है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैंने यह नहीं पूछा। मैंने पूछा कि जो प्रभाव पड़ता है, उसका कोई वैज्ञानिक आधार है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, यह सामान्य मान्यता है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, सामान्य मान्यता नहीं। मैंने पूछा, कोई वैज्ञानिक आधार है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी की पूरी बात तो आने दीजिए। (व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, जो प्रमाणीकरण है, वह भूमि का किया जाता है। आज यह सर्वमान्य है कि जो जैविक उत्पाद हैं, वह स्वास्थ्य के लिए अच्छे माने जाते हैं और जिन उत्पादों में रासायनिक खादों का इस्तेमाल होता है। उनको अच्छा नहीं माना जाता है। (व्यवधान) जहाँ तक वैज्ञानिक प्रमाणीकरण की बात है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा। मैंने पूछा, वैज्ञानिक प्रमाणिकता है या नही। अगर है तो वह बताएं और अगर नहीं है तो वह बताएं। वह हमें भी मालूम है, जो आप बताना चाह रहे हैं।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, वैज्ञानिक प्रमाण यह है कि उसमें पेस्टीसाईड नहीं होते हैं। पेस्टीसाईड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, आपके पास कोई वैज्ञानिक प्रमाणिकता है या नहीं ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, वैज्ञानिक प्रमाणिकता यह है कि उसमें पेस्टीसाईड स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं। (व्यवधान) जिनमें पेस्टीसाईड नहीं होता, वे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होते हैं। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, कोई वैज्ञानिक प्रमाणिकता है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप और क्या चाहते हैं, वह बताईये। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बात तो मुझे क्या हर व्यक्ति को मालूम है कि जिसमें पेस्टीसाईड का इस्तेमाल होगा, उसका क्या असर होगा। कोई वैज्ञानिक प्रमाणिकता भी तो होगी। कोई वैज्ञानिक प्रमाण है कि उसका मुनष्य के स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह समझता हूँ कि कोई एकेडमिक डिस्कशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

आप कृषि विभाग के मंत्री हैं। यहाँ कोई आम लोगों की पंचायत नहीं हो रही है, यहाँ माननीय विधायकों की पंचायत हो रही है। (व्यवधान)

कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

मान्यवर, जानकारी के अभाव को एकेडमिक डिस्कशन की संज्ञा मत दीजिए। आपको जानकारी का अभाव है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय प्रीतम सिंह जी के प्रश्न पर सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछा चाहूँगा, पहले तो माननीय मंत्री जी मुझे कम्पोस्ट की परिभाषा बता दें। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, सदन के अन्दर नीतिगत विषयों पर चर्चा हो सकती है। इसमें वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रणव जी, मैंने अनुमति तो नहीं दी, आपको बोलने के लिए। (व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) माननीय प्रेमानन्द महाजन जी, आप पूछें। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, प्रीतम सिंह जी ने 3 सवाल पूछे थे, उनके उत्तर नहीं आए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं अभी फिर मौका दूँगा। (व्यवधान) आप अपने सदस्यों को समझाईये कि क्यों बीच–बीच में टोक देते हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, या तो मंत्री जी यह कह दें कि हमारे पास वैज्ञानिक प्रमाणिकता उपलब्ध नहीं है, तो मैं मान लूंगा। लेकिन जैविक और अजैविक खाद्यान्न का मनुष्य के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका वैज्ञानिक आधार तो निश्चित रूप से होगा। यदि यह माननीय मंत्री जी ने नहीं कराया है तो और भी गम्भीर विषय है। आप यह बतायें कि जैविक और अजैविक में क्या अन्तर है, इसके मनुष्य के शरीर पर क्या इफेक्टस पड़ते हैं ? अगर आपको यही जानकारी नहीं है तो फिर आप कृषकों को क्या जानकारी देंगे ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अभी माननीय सदस्य को बता चुका हूँ कि जितने भी इन्सेक्टीसाइड हैं या पेस्टीसाईड्स हैं, यह स्वास्थ्य के लिये नुकसानदेह माने जाते हैं और यह वैज्ञानिक आधार पर है, वैज्ञानिक प्रमाणिकता है। जो प्राकृतिक उत्पाद हैं, उन्हें स्वास्थ्य के लिये अच्छा माना जाता है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह क्या जबाब हुआ, बिना वैज्ञानिक आधार के क्या आप किसानों को प्रोत्साहित करेंगे कि जैविक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। जैविक खाद का इस्तेमाल किसान करे, इसके लिये आपको उन्हें समझाना पड़ेगा, जब माननीय मंत्री जी को खुद ही नहीं मालूम है तो आप क्या किसानों को समझायेंगे।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि माननीय सदस्य का आशय अनाज से है या अनाज के उत्पाद के परीक्षण से है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मेरा आशय यह है कि एक तो जैविक खाद से उत्पाद हुआ और दूसरा कैमिकल खाद से उत्पाद हुआ, इन दोनों का वैज्ञानिक आधार क्या है ?......(व्यवधान)

माननीय मंत्री जी, पहले प्रश्न को समझ लीजिये, मैं यह कह रहा हूँ कि कोई वैज्ञानिक प्रमाणिकता आपके पास है.......।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

मान्यवर, या तो मैं अपनी बात माननीय मंत्री जी को समझा नहीं पा रहा हूँ। मान्यवर, किसी भी चीज की वैज्ञानिक प्रमाणिकता होती है, उसी प्रकार से इसमें भी होगी कि जैविक की वैज्ञानिक प्रमाणिकता यह है और अजैविक की यह है। अगर आपके पास ही वैज्ञानिक प्रमाणिकता नहीं है, तो आप कृषकों को क्या समझायेंगे ? (व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, जहाँ तक माननीय सदस्य जैविक और अजैविक के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं तो जैविक का तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक जो तौर–तरीके हैं, वर्मी है, नाडेप है।..

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि आपके पास क्या वैज्ञानिक प्रमाणिकता है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, आप क्या खाद्यान्न के सम्बन्ध में जानना चाह रहे हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, यदि हम कहेंगे कि प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय, तो आप करेंगे नहीं और कहेंगे कि चिल्लाते हैं, तो क्या करें। जब जबाब ही नहीं आना है तो हम लोग क्या करें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जैविक और अजैविक का बताया है और मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि पेस्टीसाईड के लिये मिनिमम रैजिड्यू है......।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी की पूरी बात तो आने दीजिये।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, या तो आप कह दीजिये कि ट्रेजरी बेंच से जो उत्तर आ रहा है, उसे आप स्वीकार कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष–

मैं यह कह रहा हूँ कि माननीय मंत्री जी जबाब दे रहे हैं, उनकी पूरी बात सुन लीजिये।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, क्या जवाब आ रहा है, आप भी सुन रहे हैं। मैंने पूछा, क्या कोई वैज्ञानिक आधार है, अगर आधार है तो वह क्या है, ? अगर नहीं है तो क्या है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, वैज्ञानिक आधार यह है कि मृदा का परीक्षण किया जाता है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पूरी बात तो आने दीजिये।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि जैविक क्या है ? और अजैविक क्या है ? किसी भी प्रश्न के उत्तर से सन्तुष्ट न होना आपका अधिकार है, लेकिन पहले माननीय मंत्री जी का पूरा उत्तर तो सुन लें।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, इसमें मृदा का परीक्षण किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है। मान्यवर, उसके आधार पर जो अन्न है, उसमें जो पैदावार होती है, वो प्रमाणित होती है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अपने सदस्यों को शान्त कराएं। वो देखिये न, डिस्टर्बेंस तो वहीं से हो रहा है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जानकारी ये चाह रहा हूँ कि जो प्रश्न मैंने पूछा है वो जैविक खेती से सम्बन्धित प्रश्न है। मैंने ये कहा कि जैविक खेती से जो उत्पाद होता है और बिना जैविक खेती के जो उत्पाद होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार है ? आपने कहा कि मृदा परीक्षण करा दिया, ये तो सबको पता है कि कैमिकल को लेने से नुकसान होता है, ये सबको मालूम है, लेकिन कोई वैज्ञानिक प्रमाणिकता है ? (व्यवधान) मृदा का परीक्षण करा दिया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मनुष्य के स्वास्थ्य पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसकी वैज्ञानिक प्रमाणिकता है ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जो जैविक खाद है और अजैविक खाद है, इन दोनों का अंतर माननीय मंत्री जी ने बताया (व्यवधान) उसकी जो पेस्टीसाइड है, पेस्टीसाइड का जो असर पड़ता है वो मृदा पर पड़ता है और उससे (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कोई बात कही उसका जवाब दे दूँ मैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न आ गया है। (व्यवधान) माननीय मंत्री जी ने बताया कि पेस्टीसाइड शरीर के लिए नुकसानदायक है और जब पेस्टीसाइड का परीक्षण कराया जाता है (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ, मैं अपने प्रश्न पर आना चाहता हूँ। अपने प्रश्न को दोहराना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, आप धैर्यपूर्वक कृपया सुन लीजिए। आप तो प्रीतम हैं, मैंने कहा, प्रीतम तो सुन लें। मैं बताना चाहता हूँ, मैं दोहरा रहा हूँ कि इन्सेक्टीसाइड और पेस्टीसाइड, ये वैज्ञानिक आधार है कि ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होते हैं और जैविक जो खेती होती है, उनमें इसका इस्तेमाल नहीं होता है। इसलिए वो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होते हैं और जिनमें ये इस्तेमाल होती हैं, वो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होती हैं। दूसरी बात जो अजैविक उत्पाद में कीटनाशक रैजिड्यू ये प्रमाणित होते हैं, जब हम मृदा का परीक्षण करते हैं और जो जैविक उत्पाद हैं, वो इससे मुक्त होता हैं। इसलिए वैज्ञानिक रूप से ये आधार, वैज्ञानिक आधार है, प्रमाणित है, रिसर्च है कि वो लाभदायक होते हैं स्वास्थ्य के लिए।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सप्लीमैन्ट्री नहीं पूछ रहा हूँ। मेरे मूल प्रश्न का जवाब ही माननीय मंत्री जी नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको अवसर दूँगा। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मानीय अध्यक्ष जी, अभी तक मेरे मूल प्रश्न का जवाब नहीं आया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जबाब आ गया है।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष–

जवाब आ गया है, उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं, मैं नहीं कह सकता। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष–

जवाब आ गया है, आप उससे संतुष्ट हों या न हों यह अलग बात है।

(नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य और बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य चौ0 यशवीर सिंह और माननीय सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन 'वेल' में आ गये। जोर–जोर से अपनी बात उठाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।) (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा। जब तक वह अपने स्थान पर न आ जायें। जवाब तो आ गया है अगर कोई माननीय सदस्य संतुष्ट न होना चाहे तो क्या करें।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।) (घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार द्वारा उत्तर नहीं आ पाया है। हमें आपका संरक्षण चाहिए, मैं निवेदन करता हूँ कि किसानों से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल है, सरकार की ओर से जवाब नहीं आ रहा है, इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

जवाब आ गया है, आप संतुष्ट हों या न हों यह अलग बात है। कृपया स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान)

('वेल' पर खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जैविक और अजैविक जो खाद्यान्न है। अजैविक खाद्यान्न जिसमें पेस्टीसाइड पड़ता है, जो शरीर को नुकसानदायक होता है। इसमें पेस्टीसाइड नहीं पड़ता है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं संतुष्ट हूँ, जवाब आ चुका है। माननीय मंत्री जी ने जवाब दे तो दिया है। (घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, एक भी जवाब नहीं आया है। मान्यवर, एक प्रश्न यह पूछा गया था कि जैविक खाद को प्रोत्साहित करने के लिए कितने बजट की व्यवस्था की जायेगी ? इसका जवाब नहीं आया है। माननीय प्रीतम सिंह जी ने तीन प्रश्न पूछे थे। (घोर व्यवधान) (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जवाब दे रहे हैं। आप सुनें तो सही।

(घोर व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 2.97 करोड़ का प्राविधान है। आप सुनगें तब तो बतायेंगे। आप 'वेल' में आ जायेंगे तो हम कैसे बतायेंगे। आप सुनना ही नहीं चाहते हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही 12:30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

*1–श्री राजेश जुवांठा–

द्वितीय गुरूवार के तारांकित 04 में स्था0

जनपद हरिद्वार में 2011 में होने वाले पंचायत के चुनाव का परिसीमन/आरक्षण की स्थिति

*4–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या पंचायतीराज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरिद्वार जनपद में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव अक्टूबर, 2011 में होने प्रस्तावित है ?

यदि हॉ, तो क्या पंचायतों का परिसीमन/आरक्षण कर दिया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी)–

जनपद हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल माह अक्टूबर, 2011 में नहीं बल्कि माह अक्टूबर, 2010 में पूर्ण हो रहा है। तद्नुसार हरिद्वार में यथासमय संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों का सामान्य निर्वाचन कराया जायेगा।

पंचायतों का परिसीमन/आरक्षण नियमानुसार यथासमय किया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में सोलर लाईट, लालटिन व अन्य उपकरणों के वितरण का जिलेवार वितरण

1–श्री शेर सिंह–

"क्या वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पिछले पॉच वर्षो में अनुदान पर प्रदेश के कितने जिलों में सोलर लाईट, लालटिन व अन्य उपकरणों का वितरण किया गया है तथा जनपद वार इनका विवरण क्या हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि बी0पी0एल0 के परिवारों को उपकरण निःशुल्क दिये गये हैं ?

यदि हां, तो कितने ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा पिछले पांच वर्षों में प्रदेश के सभी जिलों में अनुदान पर कुल 25,050 संख्या सोलर घरेलू बत्ती, 46,981 संख्या सोलर

लालटेन तथा 5,431 संख्या सोलर स्ट्रीट लाईटों का वितरण किया गया है। जनपद वार विवरण संलग्नकानुसार है। †

जी हाँ।

राज्य में बी0पी0एल0 परिवारों को कुल 580 संख्या सोलर लालटेनों का निःशुल्क वितरण किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तकाशी अन्तर्गत पुरोला में कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने पर विचार

*2–श्री राजेश जुवांठा–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के सीमांत ब्लॉक ''मोरी'' के गांवों में नकदी फसल सेब की पैदावार को देखते हुए, आराकोट–मोरी–नैटवाड–सांकरी के केन्द्र बिन्दु पुरोला में सरकार कोल्ड स्टोरेज स्थापित किये जाने पर विचार कर रही है ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में विभाग के अन्तर्गत कोल्ड स्टोरेज स्थापित किये जाने की कोई योजना संचालित नहीं है।

3–प्रीतम सिंह–

द्वितीय मंगलवार के अतारांकित 25 में स्था0

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 12:45 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

(सदन की कार्यवाही 12 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

---

† (देखिये नत्थी 'क' पृष्ठ संख्या–42 पर)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

*श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, हम ग्राहयता पर चर्चा कराना चाहते है।

*श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, हम नियम–310 पर चर्चा कराने की माँग करते है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नेता प्रतिपक्ष *(डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, हम नियम–310 पर चर्चा चाहते है।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीस सदस्य 'वेल' में आ गए।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री नारायण पाल तथा श्री राजकुमार की कुल 03 सूचनायें प्राप्त हुई। मैं इन तीनों सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अपने स्थान पर सूचना पढ़ने के लिए खड़े नहीं हुए।)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री नारायण पाल का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अपने स्थान पर सूचना पढ़ने के लिए खड़े नहीं हुए।)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री राजकुमार का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अपने स्थान पर सूचना पढ़ने के लिए खड़े नहीं हुए।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति (2009–10) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन

*श्री प्रेमानन्द महाजन–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति (2009–10) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

*श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैने नियम–66 के अन्तर्गत सूचना दी है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम–310 के अन्तर्गत कतिपय विषयों को सुने जाने की मांग

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 के अन्तर्गत पहली सूचना प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं को निजी क्षेत्र में दिए जाने में किए गए भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में डा0 हरक सिंह रावत, श्री करन मेहरा, श्रीमती अमृता रावत, श्री तिलकराज बेहड़, श्री मनोज तिवारी, श्री बलवीर सिंह नेगी, डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, श्री केदार सिंह रावत की है तथा दूसरी सूचना जो सिटूरजिया बायोकेमिकल्स लिमिटेड के ऋषिकेश स्थित कारखाने की भूमि उपयोग परिवर्तन में किए गए निर्णय से राज्य के आर्थिक हितों की उपेक्षा के सम्बन्ध में श्री गोपाल सिंह राणा, श्री किशोर उपाध्याय, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री प्रीतम सिंह, श्री जोत सिंह गुनसोला, श्री रणजीत सिंह रावत, श्री महेन्द्र सिंह माहरा की है एवं तीसरी सूचना श्री प्रेमानन्द महाजन, हाजी तस्लीम अहमद की है जो प्रदेश में जल विद्युत परियोजना बनाने हेतु किये गये आवंटन में भारी अनियमितता के सम्बन्ध में है यह भी जल विद्युत परियोजना से सम्बन्धित सूचना है इसलिए मैं पहली व तीसरी दोनों सूचनाओं को आपस में क्लब करता हूँ एवं चौथी सूचना श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री शहजाद, श्री नारायण पाल की है जोकि सिटूरजिया कैमिकल कम्पनी, ऋषिकेश की जमीन से सम्बन्धित है जिसकों मैं दूसरी सूचना से संलग्न करता हूँ। पहली सूचना माननीय करन मेहरा जी नियम–310 के अन्तर्गत जो सूचना आपकी है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

ससंदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, ये चाह क्या रहे हैं ये तो बता दे आपने विनिश्चय दिया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपने स्थान पर जाईये।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के सभी माननीय सदस्य पूर्ववत् 'वेल' में खड़े होकर नारे लगाते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान न लिया जाए जब तक कि सदन व्यवस्थित न हो जाए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री दिनेश अग्रवाल जी, आप अपनी सूचना पर बोलें (व्यवधान) श्री तस्लीम अहमद जी, आप नियम 310 की सूचना पर बोलें। (घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह करोड़ों रूपये का घोटाला है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप मेरी बात से सहमत होंगे कि यह सदन सभी माननीय सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए है और सभी माननीय सदस्य अपनी बात रख सकते हैं नियमों के अन्तर्गत। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य 'वेल' में खड़े होकर माननीय सदस्य श्री यशपाल आर्य द्वारा कुछ कहे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री यशपाल आर्य जी, आप मेरी बात से सहमत होंगे, आप भी इस पीठ को सुशोभित कर चुके हैं, यह सदन किसी अखबार का संज्ञान नहीं लेता है, किसी मैंगजीन का संज्ञान नहीं लेता है। कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया अपने स्थान पर जाकर अपनी बात कहें। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, 3 बड़े घोटाले हैं, इसका यह शासनादेश है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी,यदि कोई घोटाला है तो उसमें सुसंगत नियमों के तहत चर्चा की जाए, यदि कोई ऐसा विषय है तो उस विषय को सदन के संज्ञान में लाया जाए, यूँ ही आरोप लगा देने से, कागज लहरा देने से किसी बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह घोटालों की सरकार है।

(घोर व्यवधान के मध्य 'वेल' में खड़े होकर माननीय सदस्य श्री यशपाल आर्य द्वारा कुछ कहे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री यशपाल आर्य जी, जब सदन व्यवस्थित होगा तभी तो बात होगी, आप इस पीठ को सुशोभित कर चुके हैं, आप नियमों से अवगत हैं, यह सदन नियमों से चलता है, आप नियमों में अपनी बात कहें। (घोर व्यवधान) किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान न लिया जाए जब तक कि सदन व्यवस्थित न हो जाए।

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य पूर्ववत् 'वेल' में खड़े होकर नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह घोटालों की सरकार है। आज लूट हो रही है। इस प्रदेश की जनता ने हमें चौकीदारी करने की ड्यूटी दी है। हम चोर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमें आपका संरक्षण चाहिए। प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई को जो चोर लूटने का कार्य कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें सी0बी0आई0 की जाँच हो जायेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा और बहुत सारे लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे। इसमें सी0बी0आई0 की जाँच क्यों नहीं की जा रही है ? (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, जिस पैसे से सड़क और अस्पताल बनाने का कार्य होना चाहिए था, वह पैसा चोरों की जेब में आ रहा है, लुटेरों की जेब में जा रहा है, दलालों की जेब में जा रहा है। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य 'वेल' में खड़े होकर माननीय सदस्य श्री यशपाल आर्य द्वारा कुछ कहे जाने पर)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय यशपाल जी, आप इस पीठ को सुशोभित कर चुके हैं। आप नियमों के ज्ञाता हैं, जब तक माननीय सदस्य अपनी–अपनी सीट पर नहीं चले जाते, जब तक उनकी बातों का संज्ञान कैसे लिया जायेगा ? (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत—

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप ऐतिहासिक विनिश्चय देते हुए सी0बी0आई0 की जाँच का निर्देश कर दें। यह विनिश्चय आपकी तरफ से आ जाय तो मैं सोचता हूँ कि इस सदन के प्रति जनता का विश्वास बढ़ेगा। यदि आपकी तरफ से यह विनिश्चय आ जाय कि घोटालों की जाँच सी0बी0आई0 से करायी जायेगी तो उत्तराखण्ड का इतिहास आपकी पीठ को याद रखेगा। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा ऐतिहासिक फैसला दे दीजिए। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष—

मैं ऐसा इतिहास नहीं बनाना चाहता हूँ। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत—

माननीय अध्यक्ष जी, हमें आपका संरक्षण चाहिए। प्रदेश की जनता को आपका संरक्षण चाहिए। आप ऐसा ऐतिहासिक फैसला दे दीजिए, इससे इस सदन की गरिमा बढ़ेगी। सी0बी0आई0 की जाँच करने का निर्देश दे दीजिए इससे आपका और इस सदन का सम्मान बढ़ेगा और उत्तराखण्ड के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक दिन होगा। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष—

मैं ऐसा इतिहास नहीं बनाना चाहता हूँ। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत—

माननीय अध्यक्ष जी, लक्सर में बीमारी पैदा करने वाली यह सरकार। (घोर व्यवधान)

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन की कार्यवाही को 01:20 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही 1 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष के समापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, आसन ग्रहण करें।

*श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, हमारी नियम–310 के अन्तर्गत एक सूचना है, उस पर चर्चा कराई जाय।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समस्त माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये और अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप बताईये कि कौन बोलना चाहते हैं, मैं ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। (व्यवधान) जो नियमों में प्रावधान हैं, उसी के अनुसार मैं सुनूंगा। आप लोग नियमों के अन्तर्गत बात करिये।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये और नारे लगाने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, स्थान ग्रहण करें, सदन तो नियमों से चलता है, आप लोग नियमों के अन्तर्गत बात करिये।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत अपनी–अपनी बात कहते रहे और नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

*मुख्यमंत्री डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार पूरी ताकत के साथ एक–एक विषय का जवाब देने के लिये तैयार है। श्रीमन्, यदि यह चाहते हैं कि योजनाओं का आवंटन कहीं भी थोड़ा गलत हुआ है, तो यह चर्चा करें, इससे भागने की कोशिश न करें। हम एक–एक विषय पर चर्चा करने को तैयार हैं, यह हमारी नीति है, हमने टेण्डर कराये हैं, एक–एक योजना के बारे में बताने की हम कोशिश करेंगे और यह सुनने की कोशिश करें। यह सरकार एक पारदर्शी सरकार है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ यह सरकार है। हम यह कहना चाहते हैं कि जो ऊर्जा नीति हमारी सरकार ने

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

बनाई है, उस ऊर्जा नीति के तहत एक–एक विषय पर चर्चा हुई है। प्रतिपक्ष जबरदस्ती इसके इस पर चर्चा नहीं करना चाहता है, लेकिन हम एक–एक विषय पर चर्चा करने और उत्तर देने के लिए तैयार है। (मेजों की थपथपाहट) आखिर यह इससे भागना क्यों चाहते हैं। झूठ बोलकर इस सदन के माध्यम से जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, यह ठीक नहीं है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि ऊर्जा नीति, 2008 के तहत तीन चरणों में यह योजनायें हैं, जिसमें अति सूक्ष्म योजनायें, जो 100 किलोवाट तक की योजनायें, जो यहाँ के स्थानीय लोगों के लिये होंगी और 100 किलोवाट से 1 मेगावाट तथा 5 मेगावाट तक स्थानीय समितियों को होंगी। साथ ही 5 मेगावाट से अधिक के लिये. ...। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ कि यह पहली सरकार है, जिसने 5 मेगावाट से अधिक की योजनाओं को भी केवल और केवल स्थानीय लोगों को दिया है। (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ कि इस पर कांग्रेस जवाब दे, हमने तो बहुत स्पष्ट रूप से कार्य किया है, हर चीज कागजों में है। श्रीमन्, ये जितनी देर तक चर्चा करना चाहें, एक–एक योजना पर चर्चा करना चाहें, यह सरकार पूरी ताकत के साथ उस पर चर्चा करना चाहती है। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, यह झूठ के आधार पर सदन को नहीं चलने देना चाहते हैं, ऐसा करके यह पूरे प्रदेश की जनता का अपमान कर रहे हैं, यह इस सदन का अपमान है और इस पीठ का अपमान है। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार तो पारदर्शी सरकार है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ यह सरकार है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि यदि कहीं पर कोई घोटाला हुआ है.....।

(माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कुछ पत्रादि दिखाये गये) श्रीमन्, यह है, इसका कोई जवाब नहीं, लाखों–करोड़ों रूपये का घोटाला किया हुआ है, यह इसके प्रमाण हैं, यह सामने वीडियो रिकार्डिंग है, कांग्रेस के समय इस पूरे प्रदेश को बेचा गया। नदी की नदी बेची गई, सारे के सारे उसके प्रमाण हैं, एक–एक व्यक्ति को 400–400 मेगावाट की योजनायें दी गई, इसका जबाब इन्हें सदन को देना चाहिये, इस प्रदेश की नदियों को बेचा गया, इस प्रदेश की जनता के साथ अन्याय किया गया और हमारी सरकार से उल्टा जबाब मांगते हैं। हम बात करने के लिये तैयार हैं, एक–एक बिन्दु पर चर्चा करने के लिये तैयार हैं। श्रीमन्, हम आपका सम्मान करते हैं, जो आदेश आप देंगे, उसका पालन करेंगे, लेकिन श्रीमन्, दादागिरी से यह सदन नहीं चलेगा, नीति और नियमों से यह सदन चलता है।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

ये सदन नीतियों से चलेगा श्रीमन्, नियमों से चलेगा सदन। इतने बड़े घोटाले हुए हैं, जितने कांग्रेस के जमाने में घोटाले हुए, कभी नहीं हुए। वो लोग, हजार चूहों

को खाकर बिल्ली हज को चली, हजार चूहों को खाकर बिल्ली हज करने चली है। ये तो नहीं चलेगा श्रीमन्, और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश में, इस सदन में यह पहली बार हो रहा है कि महामहिम श्री राज्यपाल जी का अपमान किया गया, ये पहली बार हो रहा है तीन-तीन दिन तक बिना किसी कारण के, बिना किसी बात के इस तरीके से किया गया और जिस तरीके से यह किया गया, जिस तरीके से ये किया गया श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से प्रदेश नहीं चल सकता। ('वेल' में खड़े माननीय सदस्यों द्वारा कागज उछाले गये।) आज फिर ये सदन नीतियों से चलेगा, नियमों से चलेगा श्रीमन्, और इसलिए मैं आपके अनुरोध कर रहा हूँ श्रीमन्, जो भी मुद्दा है, ये सरकार एक-एक विषय पर चर्चा करने को तैयार है, हम बात करने को तैयार हैं, एक-एक विषय का उदाहरण देने को तैयार हैं, दे भी दिया। कोई मुद्दा इनके पास नहीं है इसलिए ये गैर जिम्मेदारी से सदन का अपमान करना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है श्रीमन्, ये राज्य है श्रीमन्, जो भी आपका आदेश होगा, हम उसके लिए तैयार हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-58 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री किशोर उपाध्याय, डा0 हरक सिंह रावत तथा डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, श्री जोत सिंह गुनसोला तथा श्री रणजीत रावत, श्री केदार सिंह रावत, श्री गोपाल सिंह राणा, श्री नारायण पाल जी की कुल आठ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इन आठों सूचनाओं को अस्वीकार कर रहा हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा,

*श्री केदार सिंह फोनिया-

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूँ, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है। महामहिम श्री राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण पढ़ा है, वो इस प्रदेश के हर पहलू को छूने वाला अभिभाषण रहा। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, ये अभिभाषण जो है, एक ऐतिहासिक दस्तावेज है इस प्रदेश के विकास के लिए हमेशा लाभकारी रहेगा। मैं अपने महामहिम के साथ-साथ अपने मुख्यमंत्री माननीय 'निशंक' जी को भी धन्यवाद देता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कि उनके कार्य कलापों के आधार पर ही यह अभिभाषण.........(व्यवधान) मान्यवर, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।

*श्री अजय टम्टा–

मान्यवर, हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय श्री केदार सिंह फोनिया जी के द्वारा रखे गये महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ और साथ ही साथ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी सोच उत्तराखण्ड राज्य को निरन्तर किस प्रकार प्रगति की ओर ले जाएं, यह विषय महामहिम के अभिभाषण के रूप में हम सबके बीच में आया। जिस प्रकार से राज्य स्थापना दिवस के सुअवसर पर 14 नई विकास योजनाओं को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार के द्वारा रखा गया है। ये योजनाएं हैं, उत्तराखण्ड हरित विकास योजना, मुख्यमंत्री जड़ी बूटी योजना, चारा विकास एवं चारा बैंक योजना आदि, इस प्रकार से 14 योजनाओं को दुर्गम क्षेत्रों में ले जाने का संकल्प लिया है, स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा के क्षेत्र में भी कई योजनाओं का इस सरकार ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है। मैं इन समस्त बिन्दुओं को जोड़ते हुए माननीय श्री फोनिया जी के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर कोई भी माननीय सदस्य अपने संशोधन या अपने विचार रखना चाहता है।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने विचार या संशोधन नहीं रखा।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "यह सदन महामहिम राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 08 मार्च, 2010 को दिये गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री शेर सिंह श्री नारायण पाल तथा श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की कुल 04 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से जनपद

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट के अन्तर्गत लगभग एक दर्जन गॉवों में विद्युत संकट के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री शेर सिंह की सूचना को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों को सम्मान आदि न मिल पाने से फैले असन्तोष के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

जनपद नैनीताल के तहसील धारी के अन्तर्गत ग्राम–भौनरा, पो0 ओ0 जोस्यूडा, निवासी श्रीमती नन्दी देवी, पत्नी स्व0 श्री दिनेश चन्द्र के तीन पुत्रों की विषाक्त भोजन से हुई मृत्यु के कारण आर्थिक मदद देने के सम्बन्ध में श्री खड़क सिंह बोहरा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

ससंदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

[ग्राम भौनरा, पो0 जोस्यूड़ा, पट्टी मल्ली रौ, तह0 धारी, जिला नैनीताल में 14 जुलाई, 2009 की रात्रि में विषाक्त भोजन से श्रीमती नन्दी देवी पत्नी स्व0 श्री दिनेश चन्द्र के तीन पुत्रों की मृत्यु हो गयी थी। उक्त प्रकरण पर जिलाधिकारी, नैनीताल की आख्या पर परीक्षणोपरान्त कार्यालय ज्ञाप संख्या एफ–402/पैंतीस (3)/2009–10, दिनांक 10.03.2010 द्वारा रू0 1,0,000/– (रू0 एक लाख) मात्र की आर्थिक सहायता के स्वीकृति आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।]

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत तहसील द्वारहाट एवं चौखुटिया के विभागीय भवनों के निर्माण की स्वीकृति डेढ़ वर्ष पूर्व मिल जाने के उपरान्त भी अभी तक कार्य प्रारम्भ न होने के सम्बन्ध में श्री पुष्पेश त्रिपाठी, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ससंदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री प्रकाश पन्त–

[मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अल्मोड़ा जिले में तहसील द्वारहाट एवं तहसील चौखुटिया के भवनों के निर्माण के लिए डेढ़ वर्ष पूर्व स्वीकृति मिल चुकी है, किन्तु राजस्व विभाग की लापरवाही से कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है।

इस सूचना के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि वर्तमान तक भी इन दोनों तहसीलों के भवन निर्माण के लिए स्वीकृति नहीं दी गयी है। इन तहसीलों के भवन

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निर्माण हेतु वन भूमि हस्तानान्तरण के लिए आवश्यक एन0पी0वी0 (नेट प्रजेन्ट वैल्यू) की राशि एवं भवन निर्माण के आगणन धनराशि की स्वीकृति हेतु शासन स्तर पर विचाराधीन है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में तहसील भवनों के निर्माण की मद में कोई धनराशि अवशेष न होने के कारण वित्तीय स्वीकृति सम्भव नहीं हो पा रही है।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 17 मार्च, 2010 के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही 1 बजकर 34 मिनट पर दिनांक 17 मार्च, 2010 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

देहरादून,

दिनांकः 11 मार्च, 2010

महेश चन्द्र,

प्रमुख सचिव,

विधान सभा।

नत्थी 'क'

(देखिए अता0प्र0स0 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 29–30 पर)

विगत पांच वर्षो में अनुदान पर वितरित सोलर संयंत्रो का जनपदवार विवरण।

क्र0सं0	संयंत्र का नाम	देहरादून	हरिद्वार	टिहरी	उत्तरकाशी	पौड़ी	रूद्रप्रयाग	चमोली	पिथौरागढ	चम्पावत	अल्मोड़ा	बागेश्वर	नैनीताल	उ0सिं0नगर	कुल
		संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या
1	सोलर घरेलू बत्ती	655	1134	2812	1072	2481	585	2036	4564	2780	2635	864	2101	1331	25050
2	सोलर लालटेन	1725	1027	3646	4474	5271	4263	8397	5682	5288	2372	1570	2293	973	46981
3	सोलर स्ट्रीट लाईट	558	83	314	57	754	445	275	270	662	999	369	278	367	5431